फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—शिवलाल विपक्षीः— ताराचन्द

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः—122/19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	03.12.19 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण न्यायालय में दिनांक 13.01.2009 को दर्ज हुआ। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी शिवलाल की मृत्यु होना जाहिर किया गया एवं प्रार्थी शिवलाल के वारिसान की नाम कायमी कराने हेतु निवेदन किया। इसके बाद विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.04.2018 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 2 व प्रार्थी शिवलाल की मृत्यु होना दर्शाया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा दोनों ही प्रार्थना पत्रों का जवाब आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ना हि मृतक पक्षकारान की नामकायमी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. एवं अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. का पेश किया गया है, जबकि किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर 6 माह में नामकायमी करानी आवश्यक हैं। अतः प्रकरण में मृतक पक्षकारान की नामकायमी के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2—ए सपठित धारा 151 जा.दी. का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। डॉ. मंजु (आई.ए.एस.) **सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)** **गिर्वा— उदयपुर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.20 13:14:02 IST
Reason: SelfAttested